

**कार्यालय प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव**  
**जिला—छिन्दवाडा मोप्र०**

सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त

ISO प्रमाणित संस्था

principalemrsjno@yahoo.in

**मेस कार्य व्यवस्था हेतु जारी निविदा—फार्म (प्रपत्र)**

प्रपत्र क्रमांक.....जारी करने की तिथि.....

निविदा प्रपत्र प्राप्तकर्ता का नाम :—

- निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफ्ट : रु.50,000/- (पचास हजार)
- निविदा प्रपत्र की अंतिम तिथि व समय : दिनांक 19.06.2019 दोपहर 02:00 बजे तक
- निविदा खोलने की तिथि व समय : दिनांक 20.06.2019 दोपहर 02:00 बजे
- वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय : तकनीकी निविदा में सफल निविदाकर्ता को सूचीबद्ध करने के पश्चात सूतीच किया जाएगा।

● टिप्पणी :—

1. निविदा प्रपत्र में पृष्ठों की संख्या 17 (सत्रह) सभी पृष्ठों पर निविदाकर्ता की मुद्रा एवं हस्ताक्षर अंकित होना चाहिए।
2. तकनीकी निविदा के साथ प्रतिभूति की राशि का डिमांड ड्राफ्ट तथा वित्तीय निविदा पृथक—पृथक लिफाफे में रखना होगा उक्त लिफाफे पर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा लिखा होना चाहिए तथा इन लिफाफों को एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखेंगे जिस पर मेस कार्य व्यवस्था हेतु निविदा लिखा होना अनिवार्य है।
3. निविदा प्रपत्र तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव के नाम से प्रेषित की जावेंगी।
4. फैक्स व ई—मेल के माध्यम से भेजी गयी निविदा मान्य नहीं की जावेंगी।

क्र.मांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	कार्य का स्वरूप/प्रयोजन	02
2	निविदा प्रक्रिया नियम व शर्तें	2 से 9
3	तकनीकी निविदा	10 से 14
4	वित्तीय निविदा	15

नोट :—

1. प्रत्येक निविदाकर्ता को निविदा संबंधित विभिन्न दस्तावेज को 03 शील्ड लिफाफे में देना होगा जो एक पृथक से बड़े लिफाफे में रखा जाए।
2. प्रथम लिफाफे में प्रतिभूति राशि रु. 50,000/- का बैंक ड्राफ्ट व निविदा क्रय करने का प्रमाणपत्र की मूलप्रति रखें।
3. प्रथम लिफाफा खोलने पर राष्ट्रीयकृत बैंक रु. 50,000/- का बैंक ड्राफ्ट न होने पर संबंधित के द्वितीय लिफाफे को नहीं खोला जावेगा।
4. द्वितीय लिफाफे में छात्रावास के मेस संचालन हेतु निविदा की शर्त क्रमांक 03 से क्रमांक 13 तक के समस्त प्रमाणित दस्तावेज रहेंगे। समिति द्वारा द्वितीय लिफाफा खाले जाने पर शर्त क्रमांक 03 से 13 तक की शर्तों का प्रमाणित प्रमाणपत्र प्राप्त होने की स्थिति में तृतीय लिफाफा खोला जावेगा, अन्यथा संबंधित फर्मों के निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
5. तृतीय लिफाफे में अन्य दस्तावेज जैसे :— मेस संचालन हेतु जारी निविदा फार्म, तकनीकी निविदा परिशिष्ट—‘अ’, तकनीकी निविदा परिशिष्ट—‘ब’, तकनीकी निविदा परिशिष्ट—‘स’, तकनीकी निविदा परिशिष्ट—‘द’, व वित्तीय निविदा परिशिष्ट—‘अ’, अनुबंध आदि रखे जावेंगे।

**कार्य का स्वरूप :-** मेस कार्य व्यवस्था में स्थापित होकर संचालित की जायेंगी। मेस कार्य विद्यालय के छात्रावास हेतु संचालित होंगी व निविदाकर्ता को छात्रावास के विद्यार्थियों को नियमित रूप से नाश्ता दोपहर एवं रात्रि के भोजन की व्यवस्था हेतु सेवाएँ प्रदाय करनी होंगी। निविदाकार के द्वारा संचालित मेस व्यवस्था का निरीक्षण किसी भी समय जिले व विकासखण्ड के अधिकारियों एवं प्राचार्य या उनके प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

**कार्य का प्रयोजन :-** निविदाकर्ता के छात्रावास के विद्यार्थियों के लिये नाश्ता व दोपहर तथा रात के भोजन के समयानुसार आपूर्ति/व्यवस्था (अनुमोदित मीनू तथा दरों के अनुसार) करनी होगी। कार्य की विस्तृत जानकारी व अनुबंध के नियम व शर्तें नीचे दी गयी हैं। मेस कार्य व्यवस्था का समय प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा।

**निविदा प्रक्रिया :-**

- 1.** निविदा प्रपत्र की प्राप्ति एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव से रु. 1000/- (एक हजार) के नगद भुगतान उपरांत प्राप्त किया जा सकेगा साथ ही निविदा प्रपत्र विद्यालय की वेबसाईट [www.emrs1chhindwara.in](http://www.emrs1chhindwara.in) पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेंगे।
- 2.** निविदा प्रपत्र की प्राप्ति कार्यालयीन समय में दिनांक 05.06.2019 से दिनांक 19.06.2019 (अंतिम तिथि को पूर्वान्ह 12:00 बजे तक स्वीकार की जाएँगी) तथा प्रातः 10:00 बजे से उपरान्ह 04:00 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी।
- 3.** केवल निर्धारित निविदा प्रपत्र में प्रतिभूति राशि एवं अन्य शर्तों के साथ जमा निविदा ही स्वीकार होगी अन्य किसी फार्म या प्रपत्र में प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होंगी।
- 4.** निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है। निविदा फार्म क्रय हेतु जमा की गयी राशि वापस नहीं की जावेगी। निविदा के साथ निविदा फार्म के क्रय का प्रमाण देना आवश्यक है, यदि निविदा प्रपत्र के क्रय का प्रमाण संलग्न नहीं किया जाता है तो निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
- 5.** मुहरबंद लिफाफे में निविदा दिनांक 19.06.2019 को पूर्वान्ह 02:00 बजे तक प्राप्त/जमा हो जाना चाहिए। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदा के साथ प्रतिभूति की राशि का डिमांड ड्राफ्ट तथा वित्तीय निविदा पृथक—पृथक लिफाफे में रखना होगा उक्त लिफाफे पर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा लिखा होना चाहिए तथा इन लिफाफों को एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखेंगे जिस पर “मेस कार्य व्यवस्था हेतु निविदा” लिखा होना अनिवार्य है।
- 6.** नियत समय एवं दिनांक तक प्राप्त निविदाओं को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव के कार्यालय परिसर में उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 20.06.2019 को दोपहर 02:00 बजे खोला जावेगा।
- 7.** यह विद्यालय/संस्थान विलंब या अप्राप्त होने वाली निविदा फार्म के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- 8.** फैक्स व ई—मेल के माध्यम से भेजी गयी निविदा मान्य नहीं की जावेंगी।
- 9.** यदि किसी भी निविदाकार को निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होगी तो लिखित आपत्ती ही स्वकीकार होगी जिसका परीक्षण इस कार्य हेतु गठित समिति उठायी गयी आपत्ति का परीक्षण कर उसका निष्पादन करेगी। निविदाकार पर समिति का अंतिम निर्णय बाध्य होगा।

**10. तकनीकी निविदा हेतु आवश्यक अहर्ताएँ, दस्तावेज एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-**

- 1.** प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट।
- 2.** निविदाकार को निम्नलिखित प्रमाण—पत्रों की प्रतिलिपि जो कि स्वप्रमाणित या किसी नोटरी पब्लिक द्वारा अभिप्रमाणित हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा :—
  - 1.** निविदा फार्म हेतु राशि रु. 5000 (पॉच हजार)
  - 2.** प्रतिभूति राशि रु. 50,000 (पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव के नाम देय होगा।
  - 3.** आयकर अधिनियम के अंतर्गत जारी स्थाई लेखा संस्था का प्रमाण पत्र।
  - 4.** मध्यप्रदेश होटल स्थापना पंजीयन के प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
  - 5.** मध्यप्रदेश जी.एस.टी. के अंतर्गत जारी पंजीयन का प्रमाणपत्र। उक्त पंजीयन प्रमाणपत्र निविदा खोलने की दिनांक से अनुबंधित अवधि तक जीवित होना आवश्यक है।

6. खाद्य, सुरक्षा और मानक अधिनियम के अधीन पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
  7. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का पंजीयन प्रमाण पत्र।
  8. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का प्रमाण पत्र।
  9. प्रतिवर्ष रु. 40 लाख (चालीस लाख) का टर्नओवर आवश्यक है, जिसके चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी विगत 03 वर्षों का टर्नओवर का प्रमाणापत्र आवश्यक है।
  10. निविदाकार को इस आशय का स्वलिखित घोषणा पत्र संलग्न करना होगा कि उसका नाम विद्यालय अथवा अन्य किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय विभाग की काली सूची में दर्ज नहीं है। तथा इस बाबत् शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि उक्त शपथ पत्र असत्य पाया जाता है तो प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।
  11. विगत तीन वर्षों (2016–17, 2017–18, 2018–19) की आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।
  12. किसी भी शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय में छात्रावास के मेस संचालन करने का विगत 05 वर्षों के अनुभव प्रमाणपत्र पर स्वप्रमाणित प्रस्तुत करना होगा।
  13. जो भी फर्म निविदा में भाग लेगी उसके सारे दस्तावेज उसी संस्था के नाम से होना व भोजन व्यवस्था भी होना चाहिए, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
  14. परिशिष्ट-‘अ’ के अनुसार निविदाकार का संपूर्ण विवरण हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित।
  15. परिशिष्ट-‘ब’ के अनुसार वर्तमान ग्राहकों की सूची तथा अनुभव प्रमाणपत्र आदि का विवरण हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित।
  16. परिशिष्ट-‘स’ के अनुसार पूर्व ग्राहकों की सूची तथा अनुभव प्रमाण पत्र आदि का विवरण हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित।
  17. परिशिष्ट-‘द’ के अनुसार घोषणा पत्र तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर/मुद्रा अंकित की जाए।
  18. शिष्यवृत्ति का आहरण होने पर ही राशि का भुगतान किया जावेगा।
  19. अवकाश के दिनों में मेस बंद रहेगा जैसे :— (रक्षाबंधन, दीपवली, दशहरा आदि)
  20. विद्यार्थियों की मेस की उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान किया जावेगा।
  21. नियमानुसार इनकम टैक्स जमा कर रसीद की एक प्रति कार्यालय में जमा करना होगा।
  22. फर्म द्वारा निविदा में भाग लेने के लिये अधिकार पत्र (निविदा क्रम करने का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा)।
  23. फर्म द्वारा अच्छा कार्य होने पर एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
  - 24.
- 25. वित्तीय निविदा प्रस्ताव लिफाफे में निम्नलिखित अभिलेख रखें जाए।**
- 25.1 निविदाकार परिशिष्ट-1 सूची अनुसार अपनी दर निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत करें।
  - 25.2 मेस कार्य की दरें परिशिष्ट के अनुसार प्रस्तुत की जाएं सिमें समस्त प्रकार के व्यय तथा कर सम्मिलित होंगे।
  - 25.3 कार्य की दरें संबंधित छात्रावास में प्रदत्त सेवाएं/कार्य हेतु होंगी। प्रस्तावित दर अंकों एवं शब्दों में होंगे। दरों के संबंध में अंकों में तथा शब्दों में भिन्नता पाये जाने पर न्युनतम दर ही मान्य की जावेगी।
  - 25.4 निविदाकर्ता को निविदा प्रप. में उल्लब्ध उपयुक्त स्थान में नाम तथा संपर्क का पूर्ण पता स्पष्ट प्रविष्टियों करना होगी। किसी भी प्रकार की भूल सुधार, कॉट-छॉट, ओवर राईटिंग के स्थान पर विधिवत् प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर ही निविदा प्रपत्र मान्य किये जायेंगे।
  - 25.5 वित्तीय प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर तथा मुद्रा अंकित हो। निविदा “प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव” के नाम से भेजी जावेगी।
  26. प्रतिभूति राशि :— प्रतिभूति की राशि प्रति छात्रावास रु0 50,000/- (पचास हजार) होगी। यदि कोई निविदाकर्ता एक से बधिक छात्रावासों हेतु आवेदन करना चाहे तो उसे प्रत्येक के लिये पृथक आवेदन करना होगा। उक्त राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट जो कि प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव के नाम देय होगी। प्रतिभूति राशि अन्य किसी भी रूप में स्पकीकार नहीं की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

27. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निविदा हेतु अधिकृत समिति को होगा।

## 28. मेस कार्य व्यवस्था हेतु शर्ते व नियम :-

28.1 सफल निविदाकार को लिखित में सूचना दी जावेगी।

28.2 निविदा उद्धरण आधिकारिक निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत किये जाएं। अगर किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत की जाती है तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

28.3 निर्धारित प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा उद्धरण स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

28.4 मेस कार्य व्यवस्था का अनुबंध, अनुबंध दिनांक से एक साल की अवधि/अकादमिक सत्र जो भी पहले हो के लिये है जिसे दानों पक्षों की सहमति उपरांत इसी दर पर पुनः एक वर्ष की अवधि/अकादमिक सत्र के लिये आगे बढ़ाया जा सकेगा।

28.5 निविदा में भाग लेने हेतु सभी निविदाकारों को नियमित मेस कार्य न्युनतम 05 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। इस विषयक प्रमाण पत्र प्रदाय करना अनिवार्य होगा, उक्त प्रमाण किसी विद्यालय/महाविद्यालय के छात्रावास में मेस कार्य करने का विवरण तथा प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

28.6 निविदाकार अथवा उसकी फर्म/कंपनी/संस्था जिसके माध्यम से केटरिंग व्यवस्था संचालित की जावेगी उसका विगत 03 वर्षों का टर्नओवर प्रतिवर्ष न्युनतम 40 लाख होना चाहिए। इस संबंध में निविदाकर्ता को विगत तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित बैंलेस शीट तथा लाभ-हानि खाता, वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, का संलग्न करना अनिवार्य है तथा उपरोक्त के साथ विगत तीन वर्षों की स्वप्रमाणित आयकर की विवरणियाँ तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा टर्नओवर का मूल प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।

28.7 शासन द्वारा समय–समय पर लागू होने वारले कर जैसे— जीएसटी, आयकर, वृत्तिकर, ईपीएफ, तथा ईएसआई इत्यादि के भुगतान का दायित्व संबंधित फर्म/संस्था/कंपनी का होगा। इस हेतु विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

28.8 संस्था/फर्म/कंपनी भेजन तैयार करने हेतु किचन/भोजन कक्ष, टेबल/कुर्सी आवश्यक बर्तनों की साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखेगी। पर्याप्त मात्रा में वाशिंग वाउडर क्लीनिंग किट का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा। संबंधित फर्म/संस्था को यह भी सुनिश्चित करना होगा किया भोजन पकाने के बर्तन, थाली ग्लास कटोरी–चम्मच इत्यादि साफ हो तथा भोजन पकाने का कक्ष/रसोई घर जीवाणु रहित हो। यदि किसी भी प्रकार की शिकायत पाए जाने पर निविदाकार के भुगतान देयक से रु. 1000/- प्रतिदिन के हिसाब से कटौत्रा किया जा सकता है।

28.9 भोजन तैयार करने हेतु रसोई घर, भोजन कक्ष तथा फर्नीचर की उपलब्धता विद्यालय द्वारा की जावेगी किन्तु इसके संधारण एवं मरम्मत की व्यवस्था निविदाकार को करना होगी। इसके अतिरिक्त व्यवस्था हेतु लगने वाली अन्य सामग्री ता भोजन बनाने परोसने एवं खाने के बर्तन इत्यादि की व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी।

28.10 निविदाकार के कर्मचारी प्रदत्त सेवाओं हेतु प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। प्रतिदिन निविदाकार के कर्मचारी रसोई घर, भोजन कक्ष, भोजन उपयोग हेतु बर्तन एवं फर्नीचर, फर्श की साफ–सफाई सुनिश्चित करने के पश्चात ही जाएँगे। यदि निरीक्षण में गंदगी पायी जाती है तो प्रत्येक बार रु. 1000/- देयक की राशि से कटौत्रा किया जावेगा।

28.11 छात्रावास में विद्यार्थियों का स्वास्थ खराब होने पर उनकी मॉग के अनुसार भोजन की व्यवस्था करनी होगी। व्रत/उपवास रखने वाले विद्यार्थियों के लिये उनकी मांग के अनुसार भोजन देना होगा।

28.12 मेस/रसोई घर में कार्य करने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जावेगी। छात्रावास में पूर्व में कार्य कर चुके कर्मियों को प्राथमिकता देनी होगी। कार्य करने वाले कर्मचारी शालीन, सभ्य एवं स्वच्छता रखने वाले होने चाहिए। कार्यरत कर्मचारियों का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जो कि शासकीय स्नात्कोत्तर चिकित्सक से प्राप्त हो तथा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

28.13 निविदाकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके कर्मचारी किसी भी रोग से मुक्त हो तथा बार–बार होने वाली बीमारियों, विशेष कर संकामक रोगों से विमुक्त होना चाहिए। तथा

कार्यरत कर्मचारी वर्दी में हो तथा नाम की पट्टी उनकी वर्दी पर संलग्न हो साथ ही यह भी विशेष ध्यान रखना होगा कि कन्या छात्रावास में महिला कर्मी ही रखें जायेंगे।

28.14 मेस/रसोई घर/विद्यालय परिसर में कार्य करने वाला काई भी कर्मचारी पान, तंबाकू, सिगरेट तथा मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा और न ही किसी अन्य को प्रदाय करेगा। इसका उलंघन करने वाले कर्मचारी को तत्काल हटाने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

28.15 भोजन पकाने हेतु व्यावसायिक सिलेंज़डर का उपयोग करना अनिवार्य है जिसकी व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी। जिसका पृथक से कोई भी भुगतान विद्यालय/छात्रावास द्वारा नहीं किया जाएगा।

28.16 मेस केटरिंग व्यवस्था का संचालन निर्धारण सुचारू रूप से न करने पर एक माह की अग्रिम सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा एवं ऐसी स्थिति में प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव का निर्णय अंतिम होगा तथा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

28.17 निविदा में सफल निविदाकार सांविधिक आवश्यकताओं जैसे न्युनतम भुगतान अधिनियम कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, श्रम अधिनियम इत्यादि के अंतर्गत समस्त प्रकार के भुगतान का उत्तरदायित्व निविदाकार पर होगा। कार्य के दौरान यदि उत्तरदायित्व निविदाकार के कर्मचारियों साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो क्षतिपूर्ति का संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा। ऐसी दशा में मेस व्यवस्था में लगे कार्यरत कर्मचारी/कर्मचारियों को शासन/सहायक आयुक्त कार्यालय/छात्रावास में रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार सृजित नहीं होगा।

28.18 भुगतान :— निविदा में सफल निविदाकार को मेस संचालन हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

28.19 धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदाकारों के उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि उनके आवेदन पर निर्णय उपरांत वापिस कर दी जावेगी।

28.20 सफल निविदाकार को कार्यादेश में उल्लेखित अवधि के लिये अनुबंध (जो कि उचित मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्राप्तित) संपादित करना होगा तथा दर्शाई गयी तिथि से तत्काल कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा द्वितीय न्युनतम दर वाले निविदाकर्ता को कार्य सौंपने के लिये प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव स्वतंत्र होंगे एवं ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

28.21 किसी भी प्रकार की शासकीय सामग्री छात्रावास की वार्डन या उनके अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति के बिना भवन/परिसर के बाहर जाने नहीं दी जावेगी। इस कार्य हेतु एक पंजी रखी जावेगी जिसमें अनुमति प्राप्त सामग्री को दर्ज करने के पश्चात ही बाहर ले जाया जा सकेगा।

28.22 सफल निविदाकार संस्था किसी कारणवश अपनी सेवाएँ अनुबंध के पूर्व समाप्त करती हैं तो उसे दो माह पूर्व लिखित सूचना देना होगी। ऐसे निविदाकार की संस्था को भविष्य में इस विद्यालय में निविदा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा। तथा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

28.23 विद्यालय द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री को किसी भी प्रकार की हानि होती है अर्थात् टूट-फूट वस्तु गुम होना इत्यादि की पूर्ति निविदाकार स्वयं करेगा। अस्वीकार किये जाने की दशा में भुगतान देयक से उक्त हानि की पूर्ति की जा सकेगी। न्यायालयीन विवाद की स्थिति में जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा रहेगा।

## 29. भोजन की गुणवत्ता के संबंध में अन्य शर्तें :-

29.1 समिति द्वारा निर्धारित समय पर ही भोजन एवं नाश्ते की व्यवस्था करनी होगी। यदि शाला समस में परिवर्तन होता है तो समयानुसार भोजन एवं नाश्ते के समय में भी परिवर्तन होना संभावित होगा।

29.2 सप्ताह में एक दिन कड़ी प्रतिमाह दो बार दाल-बाटी व एक बार खीर पूरी, सब्जी पुलाव देना होगा।

29.3 समिति द्वारा प्रतिदिन भोजन एवं नाश्ते का निरीक्षण किया जावेगा। भोजन एवं नाश्ता गुणवत्ता नहीं पाये जाने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

29.4 विद्यार्थियों को गुणवत्ता एवं स्वास्थ्यवर्धक सॉची दूध ही दिया जावे, खुले दूध का उपयोग करतई नहीं करेंगे।

29.5 विद्यार्थियों के स्कूल पहुँचने से पूर्व उन्हें नाश्ते के रूप में अलग-अलग प्रकार के पौष्टिक आहार जैसे दूध, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, दलिया, खिचड़ी, पोहा, टोस्ट आदि नाश्ते के रूप में दिया जाना होगा।

29.6 बाल अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित डाइड चार्ट अनुसार भोजन प्रदाय किया जावेगा। मौसम के अनुसार उपलब्ध होने वाली सब्जियाँ जैसे— आलू, मटर, टमाटर, गोभी, भिणडी, कटहल, बैंगन, शिमला मिर्च, बीन्स, टिण्डे, परमल, करेला, अरबी, लौकी इत्यादि का उपयोग तैयार किये गये मीनू के अनुसार बारी-बारी से देना होगा।

29.7 भोजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना होगा। नाश्ता, लंच, डिनर बफे सिस्टम होगा। विद्यार्थियों को अवगत कराना होगा कि आवश्यकतानुसार नाश्ता/भोजन लें।

29.8 स्वीट डिश के रूप में परोसे गये आयटम जैसे— छेना रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इत्यादि इस प्रकार की खाद्य वस्तुएं उचित आकार की होनी चाहिए।

29.9 खाद्य तेल डबल रिफाइण्ड सर्वोत्तम क्वालिटी का होगा। छात्रावास वार्डन द्वारा इसका ब्राण्ड कभी भी तय किया जा सकेगा।

29.10 एम.डी.एच./एवरेस्ट/विंध्यावेली/पतंजली के मसालों को प्रयोग में लाना होगा। अन्य ब्राण्ड के मसाले प्रयोग में लाने से पूर्व मेस प्रभारी की अनुमति आवश्यक होगी।

29.11 शर्बती गेंहू के आटे का प्रयोग किया जावेगा।

29.12 गर्मियों के मौसम में सप्ताह में 03 दिवस दही उपयोग में लाया जावेगा।

29.13 जो भी खाद्य सामग्री उपयोग में लायी जावे वह अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। किचन में उपयोग लाई गयी हरी सब्जियाँ ताजी तथा मुलायम होनी चाहिए। जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग निर्धारित सीमा से अधिक न किया गया हो

# कार्यालय प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव

## जिला—छिन्दवाडा म0प्र०

सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त

ISO प्रमाणित संस्था

principalemrsjno@yahoo.in

### तकनीकी निविदा परिशिष्टि "अ"

नोट :-

1. प्रत्येक निविदाकर्ता को निविदा संबंधित विभिन्न दस्तावेज को 03 शील्ड लिफाफे में देना होगा जो एक पृथक से बड़े लिफाफे में रखा जाए।
2. प्रथम लिफाफे में प्रतिभूति राशि रु. 50,000/- का बैंक ड्राफ्ट व निविदा क्र्य करने का प्रमाणपत्र की मूलप्रति रखें।
3. प्रथम लिफाफा खोलने पर राष्ट्रीयकृत बैंक रु. 50,000/- का बैंक ड्राफ्ट न होने पर संबंधित के द्वितीय लिफाफे को नहीं खोला जावेगा।
4. द्वितीय लिफाफे में छात्रावास के मेस संचालन हेतु निविदा की शर्त क्रमांक 03 से क्रमांक 13 तक के समस्त प्रमाणित दस्तावेज रहेंगे। समिति द्वारा द्वितीय लिफाफा खाले जाने पर शर्त क्रमांक 03 से 13 तक की शर्तों का प्रमाणित प्रमाणपत्र प्राप्त होने की स्थिति में तृतीय लिफाफा खोला जावेगा, अन्यथा संबंधित फर्मों के निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
5. तृतीय लिफाफे में अन्य दस्तावेज जैसे :— मेस संचालन हेतु जारी निविदा फार्म, तकनीकी निविदा परिशिष्ट—'अ', तकनीकी निविदा परिशिष्ट—'ब', तकनीकी निविदा परिशिष्ट—'स', तकनीकी निविदा परिशिष्ट—'द', व वित्तीय निविदा परिशिष्ट—'अ', अनुबंध आदि रखे जावेंगे।

**निविदाकर्ता हेतु पत्रता:-** पतिष्ठित अनुभवी निविदाकर्ता जिसे मेस कार्य व्यवस्था व्यवसाय का न्युनतम 5 वर्षों का अनुभव हो, साथ ही किसी शासकीय, विद्यालय या महाविद्यालय में निविदाकर्ता द्वारा संतोषजनक सेवाएँ प्रदान की हो एवं पिछले तीन वर्षों का व्यवसाय रु. प्रतिवर्ष 40 लाख हो, आवेदन करने हेतु पात्र है।

क्र.	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाये
1	निविदाकर्ता फर्म/संस्था का नाम/पूर्ण पता/	
2	व्यवसाय का स्परूप प्रोपराईटर/भागीदारी फर्म/प्राईवेट लिमिटेड कंपनी(भागीदारी तथा संचालकों का नाम) पूर्ण पता	
3	निविदा प्रपत्र का मूल्य	राशि रु. .... तिथि ..... रसीद क्र.-.....
4	प्रतिभूति राशि का विवरण	राशि रु. .... बैंक ड्राफ्ट क्र.- ..... रसीद क्र.-.....
5	निविदाकर्ता फर्म/संस्था स्थापना का पंजीयन क्रमांक तथा तिथि	

## तकनीकी निविदा परिशिष्टि "ब"

निविदा प्रपत्र के साथ वर्तमान विद्यालय/महाविद्यालय/छात्रावास की सूची एवं अनुभव प्रमाणपत्र के साथ जानकारी व दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।

क्र.	वर्तमान ग्राहकों के नाम	दूरभाष नंबर	ग्राहक का पता	मेस संविदा अनुबंध की अवधि	संविदा मूल्य प्रतिवर्ष

दिनांक : .....  
स्थान : .....

पूर्ण हस्ताक्षर/मुद्रा  
निविदाकर्ता का नाम.....

**टिप्पणी :-** उपरोक्त वर्तमान ग्राहकों की सूची में दर्शाये गये व संलग्न दस्तावेजों का संबंधित विभाग से सत्यापन किया जावेगा। असत्य पाये जाने पर निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिये जाएँगे।

## तकनीकी निविदा परिशिष्टि "स"

निविदा प्रपत्र के साथ पूर्व विद्यालय/महाविद्यालय/छात्रावास की सूची एवं अनुभव प्रमाणपत्र के साथ जानकारी व दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा निरस्त कर दिये जाएँगे यह निविदा हेतु प्रस्तुत मापदण्ड है और इस सूची मे पिछले पाँच वर्षों के लिये प्रदाय की गयी सेवाओं को शामिल कर सकते हैं।

क्र.	पूर्व ग्राहकों के नाम	दूरभाष नंबर	पूर्व ग्राहक का पता	मेस संविदा अनुबंध की अवधि	संविदा मूल्य प्रतिवर्ष

दिनांक : .....  
स्थान : .....

पूर्ण हस्ताक्षर / मुद्रा  
निविदाकर्ता का नाम.....

**टिप्पणी :-** उपरोक्त पूर्व ग्राहकों की सूची में दर्शाये गये व संलग्न दस्तावेजों का संबंधित विभाग से सत्यापन किया जावेगा। असत्य पाये जाने पर निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिये जाएँगे।

## तकनीकी निविदा परिशिष्टि "द"

### (घोषणा—पत्र)

प्रति,

प्राचार्य

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय  
जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.

विषय :— मेस कार्य के अनुबंध हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

—000—

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत मैं घोषणा करता / करती हूँ कि :—

1. मैं/हम, अधोहस्ताक्षरित (जिसे बाद में 'संविदाकार' कहा जाएगा) कथन करता हूँ/करते हैं कि मैंने जिलों में छात्रावास हेतु "मेस कार्य व्यवस्था के संचालन का अनुबंध प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है।
2. मैं/हम इस विषय की सूचना के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में सूचीबद्ध अनुसूची व विषयवस्तु के समस्त नियमों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं।
3. मैं/हम एतद् यह पुष्टि करते हैं कि मैं/हमने सभी नियमों व शर्तों का अध्ययन कर समझ लिया है। जिसके पालन करने के लिये मैंने/हमने अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। किसी भी विसंगति/विवाद या परिशिष्ट में गलत जानकारी की स्थिति में प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव का निर्णय अंतिम होगा।
4. मैं/हम, एतद् द्वारा यह पुष्टि करता/करते हैं कि समाचार पत्र में जारी विज्ञाप्ति के अंतर्गत आमंत्रित निविदा के अंतर्गत परिशिष्ट-'अ' में दर्शायी गई सूची के अंतर्गत उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्ध रहूँगा/रहेंगे।
5. मैं/हम, यह वचन देते हैं कि मुझे/हमें शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय/छात्रावास में "मेस कार्य व्यवस्था संचालन का 05 वर्षों का संतोषजनक अनुभव है, जिसकी निम्नानुसार प्रपत्र में जानकारी देवें।

क्र.	ग्राहकों के नाम	ग्राहकों का पता दूरभाष नंबर

## वित्तीय निविदा परिशिष्ट "अ"

1. निविदाकर्ता का नाम/पता :- .....

2. दूरभाष नंबर :- .....

3. मेस कार्य व्यवस्था संलग्न मीनू निविदा प्रपत्र—I एक अनुसार सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन शाम का नाश्ता, रात्रि के भोजन की मासिक दरें जो समस्त कर सहित (प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन) के आधार पर निम्नानुसार है :-

स. क.	विवरण	प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन	प्रति विद्यार्थी मासिक दर (अंको में) दशमलव के दो अंको तक	मासिक दर (शब्दों में)
1	सुबह का नाश्ता एवं दूध			
2	शाम का नाश्ता			
3	दोपहर का भोजन			
4	रात्रि भोजन			

### नोट :-

- उपरोक्त वित्तीय परिशिष्ट-'अ' तृतीय मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें।
- वित्तीय निविदा तथा तकनीकी निविदा का मुहरबंद पृथक—पृथक लिफाफे में रखना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
- प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करें।
- अंको एवं शब्दों में त्रुटि पाये जाने पर न्यूनतम दर स्वीकार की जावेगी।

दिनांक : .....

पूर्ण हस्ताक्षर / मुद्रा

स्थान : .....

### 3. निविदाकर्ता फर्म/संस्था के (स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र) अनुभव का विवरण:-

क्र.	अवधि	विभाग/संस्था का नाम तथा पूर्ण पता, दूरभाष क्रमांक	अनुभव प्रमाण पत्र का विवरण	टिप्पणी

### 4. GST पंजीयन प्रमाणपत्र का विवरण

व नंबर (स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें।) :- .....

### 5. निविदाकर्ता की फर्म/संस्था स्थापना का पंजीयन

प्रमाण पत्र क्रमांक/तिथि (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।) :- .....

### 6. आयकर विवरण (पूर्व के तीन वर्षों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

:- .....

### 7. वार्षिक सकल विक्रय (पूर्व के तीन वर्षों का सी.ए. द्वारा प्रमाण—पत्र संलग्न करें।)

:- .....

### 8. आयकर स्थायी लेखा संख्या (स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें।)

:- .....

### 9. वित्तीय विवरण (पूर्व के तीन वर्षों के सी.ए. द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण संलग्न करें)

:- .....

### 10. खाद्य सुरक्षा, मानक अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाणापत्र (स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें।)

:- .....

### 11. कर्मचारी भविष्य निधि व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन का प्रमाणपत्र (स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें।)

:- .....

दिनांक : .....  
स्थान : .....

पूर्ण हस्ताक्षर / मुद्रा  
निविदाकर्ता का नाम.....

### टिप्पणी :-

- कृपया दस्तावेज की स्वच्छ व स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करें।
- विगत तीन वर्षों, वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक प्रत्येक वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन सहित संलग्न करें।

## “अनुबंध पत्र” (100 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ..... को (इसके उपरांत प्रथम पक्ष कहलायेंगे) तथा (इसके उपरांत द्वितीय पक्ष कहलायेंगे) के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका छात्रावास की मेस व्यवस्था हेतु संबंधित सेवाएँ प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों पर संपादित किया जाता है :—

1. अनुबंध के समय निविदाकार का सिक्यूरिटी डिपॉजिट के रूप में प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में रु. 50.000/- (पचास हजार) का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा, सत्र भर के कार्य निर्धारित शर्तों के अधीन सुचारू रूप से संचालित करने एवं कार्य सतोषजनक पाये जाने पर दोनों पक्षों की सहमति से उक्त अनुबंध वर्तमान सत्र से प्रभावी माना जायेगा।
2. भोजन तैयार करने हेतु विचन एवं भोजन करने हेतु डायनिंग हॉल एवं टेबल एवं बर्तनों के लिये आवश्यकतानुसार पर्याप्त डिशवाशर डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर तथा समुचित कीटनाशकों का उपयोग किया जाना होगा किसी भी प्रकार से सफाई की शिकायत होने पर ठेकेदार के भुगतान देयक से रु. 1000/- प्रतिदिन के हिसाब से कटौत्रा किया जा सकेगा।
3. भोजन की गुणवत्ता के संबंध में एवं अन्य नियम शर्तें निविदा में उल्लेखित अनुसार ही मान्य होंगी।
4. भोजन तैयार करने हेतु किचन की उपलब्धता का प्रदाय छात्रावास द्वारा किया जायेगा। इसके संधारण एवं रिपेयर संबंधित कार्य निविदाकार को करना होगा। इसके अतिरिक्त लगने वाली अन्य सामग्री तथा भोजन परोसने एवं खाने के बर्तन इत्यादि की व्यवस्था निविदकर्ता को स्वयं करनी होगी।
5. विद्यालय द्वारा सौंपे जाने वाली कोई भी सामग्री कम होती है, टूटती-फूटती या गुम होती है, तो इसकी पूर्ति निविदाकार द्वारा की जावेगी।
6. किचन में प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ठेकेदार के कर्मचारी उपलब्ध होना चाहिए, ठेकेदार के कर्मचारी प्रतिदिन किचन तथा समस्त बर्तन एवं फर्नीचर की सफाई सुनिश्चित करने के बाद ही जायेंगे। यदि औचक निरीक्षण में गंदगी पाई जाती है, तो प्रत्येक बार रु. 1000/- राशि का कटौत्रा किया जायेगा।
7. छात्रावास के समस्त विद्यार्थियों को निविदा में उल्लेखित तथा मीनू के अनुसार नाश्ता एवं दोनों समय भोजन प्रदाय किया जायेगा शाम 04:00 बजे छोटे बिस्कुट पैकेट के साथ चाय तथा ग्रीष्म ऋतु में ठंडा पेय पदार्थ जैसे—लस्सी, जलजीरा, नींबू का शर्बत, छाछ देना होगा।
8. छात्रावास में ठहरे छात्र/छात्राएँ प्रशिक्षार्थियों के स्वास्थ्य खराब होने पर मांग के अनुसार भोजन की व्यवस्था करनी होगी। व्रत/उपवास रखने वाले विद्यार्थियों के लिये भी उनकी मांग के अनुसार भोजन देना होगा।
9. मेस किचन में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जायेगी। पूर्व से छात्रावास में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्य करने वाले कर्मचारी शालीन, सम्म एवं साफ-सुथरे होने चाहिए। कार्य करने वाले कर्मचारियों का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र तथा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

होगा तथा इनके यूनिफार्म पर नाम की पट्टी लगाना अनिवार्य होगा एवं बालिका छात्रावास में महिला कर्मी रखे जावेंगे।

10. मेस किचन में काम करने वाले काई भी कर्मचारी शराब, तंबाकू अथवा सिगरेट तथा अन्य नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेगा और न ही किसी को प्रदाय करेगा। इसका उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को तत्काल हटाने की कार्यवाही ठेकेदार को करनी होगी।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव का निर्णय अंतिम होगा।
12. भोजन पकाने हेतु व्यवसायिक सिलेण्डर का उपयोग करना अनिवार्य है, जिसकी व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी। जिसका पूर्व से कोई भी भुगतान विद्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
13. मौसम के अनुसार उपलब्ध होने वाली सब्जियों जैसे आलू, मटर, टमाटर, भिंडी, कटहल, बैंगन, शिमला मिर्च, बीन्स, टिंडे, परमल, करेला, अरबी, लौकी इत्यादि का उपयोग तैयार किये गये मीनू के अनुसार बारी-बारी से देना होगा।
14. भोजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति/विद्यार्थी को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना होगा।
15. स्वीट डिश के रूप में परोसे गये आयटम जैसे छेना, रसगुल्ला, गुलाब जामुन इत्यादि इस प्रकार के आयटम का साईंज स्टेप्डर्ड रहेगा।
16. ब्रांडेड मसालों को प्रयोग में लाया जायेगा, अन्य ब्रांड के मसाले प्रयोग में लाने के पूर्ण प्राचार्य/वार्डन की अनुमति आवश्यक होगी।
17. जो भी खाद्य सामग्री उपयोग में लाई जावे वह अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। किचन में उपयोग में लाई गई हरी सब्जियों ताजी तथा मुलायम होनी चाहिए। जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग निर्धारित सीमा से अधिक न किया गया हो।
18. द्वितीय पक्षकार/ठेकेदार को सेवाएँ समाप्त करने से दो माह पूर्व, लिखित सूचना देना अति अनिवार्य होगा। यदि प्रथम पक्षकार द्वारा भी सेवाएँ समाप्त करना है, तो एक माह पूर्व लिखित सूचना देकर कार्य समाप्त किया जा सकता है।

# मेस व्यवस्था हेतु मीनू प्रपत्र-1

	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	शाम का नाश्ता	रात्रि का भोजन
सोमवार	माह के 15 दिन 100 ग्राम बोन्निटा युक्त सौंची का दुध एवं बाकि के दिनों में मीठा दुध साथ पीहा, अंकुरीत चना, झुकुरीत मूँग रोटे—पीहा, खिचड़ी दालेंया उपमा आदि पृथक—पृथक देना होगा।	चना—दाल, चावल, रोटी, मटर—पनीर की सब्जी (माह के प्रथम एवं अंतिम सोमवार बाकी दिन मोसमी सब्जी)	उबले काले चने निम्बू प्याज के साथ, केला या मीसमी फल, नमकीन—लस्ती वा मूरमूरा भेल(मूगफली, सेव, टमाटर, प्याज, नीम्बू धनिया चटनी के साथ) पृथक—पृथक दिन पृथक—पृथक देना होगा	तुवर की दाल, चावल, रोटी, मीसमी सब्जी
मंगलवार	दुध के साथ आलूबड़े, कचोरी जलेबी, नीरी—भजिया, समीरे आदि पृथक—पृथक देना होगा।	मूँगदाल, चावल रोटी, राजमा की सब्जी (माह के प्रथम एवं अंतिम मंगलवार बाकी दिन मोसमी सब्जी)	उड्ड दाल, चावल, रोटी मोसमी सब्जी	
बुधवार		चना—दाल, चावल, रोटी, काजूकरी (माह के प्रथम एवं अंतिम बुधवार बाकी दिन मोसमी सब्जी)	तुवरदाल, चावल, रोटी, आलूछोला की सब्जी	
गुरुवार		तुवरदाल, चावल, रोटी, मलाई कोप्ता की सब्जी (माह के प्रथम एवं अंतिम गुरुवार बाकी दिन मोसमी सब्जी)	मूँगदाल, चावल रोटी, मीसमी सब्जी	
शुक्रवार		उड्ड दाल, चावल, रोटी, छोले आलू की सब्जी	चना की दाल, चावल, रोटी, मीसमी सब्जी	
शनिवार		मसुरदाल, चावल, रोटी, चवले की सब्जी	उड्ड दाल, चावल, रोटी, मीसमी सब्जी	
रविवार		मूँगदाल, चावल रोटी, राजमा की सब्जी	मूँगदाल, चावल, रोटी, मीसमी सब्जी	

नोट:—(1) महिने में एक बार विशेष भोजन जैसे दाल—बाटी, खिर—पुरी, सब्जी पुलाव, राष्ट्रीय त्योहार जैसे—15 अगस्त, 26 जनवरी प्रदेशी भोजन में गुलाब जामुन, जलेबी, हलवा, मावाबर्फी जैसी मीठाई भोजन हेतु देना होगी।

(2) मीसम के अनुसार उपलब्ध होने वाली सब्जीयों जैसे—आलू, मटर, टमाटर, भिन्डी, कटहल, बैंगन, शिमला नीरी, सेम, टिन्डे, परदल, करेला, अरवी, लोकी, कुल—गोभी, गिलकी, पत्तागोभी, पालक इत्यादि का उपयोग, तैयार किये गये मीनू के अनुसार

प्राचार्य  
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय  
जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा(म0प्र0)

# छात्रावास मेस कार्य व्यवस्था हेतु

## चैकलिस्ट तकनीकी निविदा

दिनांक ..... समय अपरान्ह ..... बजे  
 निविदाकर्ता की संस्था का नाम .....  
 पता .....

क्र.	पत्रकों की सूची	संलग्न पत्रक	पृष्ठ संख्या
1	निविदा फार्म क्रय करने का प्रमाण (पूल प्रति संलग्न करें)।		
2	प्रतिभूति राशि प्रति छात्रावास रु. 50.000 का बैंक ड्राफ्ट।		
3	आयकर अधिनियम के अंतर्गत जारी स्थायी लेखा संख्या की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।		
4	मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना पंजीयन के प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।		
5	खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अधीन पंजीयन के प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।		
6	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के पंजीयन के प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।		
7	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम पंजीयन के प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।		
8	सेवाकर अधीनियम के अंतर्गत पंजीयन के प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।		
9	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी विगत 03 वर्षों का टर्नओवर का मूल प्रमाणपत्र।		
10	जी.एस.टी. का पंजीयन के प्रमाणपत्र जो अनुबंध तक जीवित हो की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।		
11	विगत तीन वर्षों स्वप्रमाणित आयकर टिप्पणी प्रतिलिपि। वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19		
12	वे/सेवाकर के विगत 03 वर्षों के विवरण पत्र तथा कर भुगतान के चालानों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।		
13	शपथ पत्र इस आशय हेतु निविदाकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज नहीं है।		
14	विगत 05 वर्षों के अनुभव प्रमाणपत्र की सूची।		

### संलग्न :—

- संलग्न प्रत्येक पत्रकों पर पृष्ठ संख्या दर्ज करना अनिवार्य है।
- संलग्न पत्रक की पृष्ठ संख्या को उपरोक्त सूची में आवश्यक रूप से दर्ज करें।

दिनांक : .....  
 स्थान : .....

पूर्ण हस्ताक्षर / मुद्रा  
 निविदाकर्ता का नाम.....

## छात्रावास मेस संचालन हेतु निविदा की शर्तें

क्र.	निविदाकार को निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
1	निविदा फर्म हेतु राशि रु. 5000/- (पॉच हजार)
2	प्रतिभूति राशि रु. 50,000 (पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव के नाम देय होगा।
3	आयकर अधिनियम के अंतर्गत जारी स्थाई लेखा संस्था का प्रमाण पत्र। स्वप्रमाणित प्रति।
4	मध्यप्रदेश होटल स्थापना पंजीयन के प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
5	फर्म का जी.एस.टी. के अंतर्गत जारी पंजीयन का प्रमाणपत्र। उक्त पंजीयन प्रमाणपत्र निविदा खोलने की दिनांक से अनुबंधित अवधि तक जीवित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित प्रति।
6	खाद्य, सुरक्षा और मानक अधिनियम के अधीन पंजीकरण का प्रमाण पत्र। स्वप्रमाणित प्रति।
7	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का पंजीयन प्रमाण पत्र। स्वप्रमाणित प्रति।
8	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का प्रमाण पत्र। स्वप्रमाणित प्रति।
9	प्रतिवर्ष रु. 40 लाख (चालीस लाख) का टर्नओवर आवश्यक है, जिसके चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी विगत 03 वर्षों का टर्नओवर का प्रमाणापत्र आवश्यक है। स्वप्रमाणित प्रति।
10	निविदाकार को इस आशय का स्वलिखित घोषणा पत्र संलग्न करना होगा कि उसका नाम विद्यालय अथवा अन्य किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय विभाग की काली सूची में दर्ज नहीं है। तथा इस बाबत् शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि उक्त शपथ पत्र असत्य पाया जाता है तो प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।
11	विगत तीन वर्षों (2016–17, 2017–18, 2018–19) की आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी। स्वप्रमाणित प्रति।
12	किसी भी शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय में छात्रावास के मेस संचालन करने का विगत 05 वर्षों के अनुभव प्रमाणपत्र पर स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
13	किसी भी शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय में छात्रावास के मेस संचालन करने का विगत 05 वर्षों में प्रतिवर्ष छात्रावास में कम से कम 300 विद्यार्थियों के मेस संचालन के 5 वर्षों का कार्य अनुभव अनिवार्य होगा। स्वप्रमाणित प्रति।

### नोट :-

- प्रत्येक निविदाकर्ता को निविदा संबंधित विभिन्न दस्तावेज को 03 शील्ड लिफाफे में देना होगा जो एक पृथक से बड़े लिफाफे में रखा जाए।
- प्रथम लिफाफे में प्रतिभूति राशि रु. 50,000/- का बैंक ड्राफ्ट व निविदा क्य करने का प्रमाणपत्र की मूलप्रति रखें।
- प्रथम लिफाफा खोलने पर राष्ट्रीयकृत बैंक रु. 50,000/- का बैंक ड्राफ्ट न होने पर संबंधित के द्वितीय लिफाफे को नहीं खोला जावेगा।
- द्वितीय लिफाफे में छात्रावास के मेस संचालन हेतु निविदा की शर्त कमांक 03 से कमांक 13 तक के समस्त प्रमाणित दस्तावेज रहेंगे। समिति द्वारा द्वितीय लिफाफा खाले जाने पर शर्त कमांक 03 से 13 तक की शर्तों का प्रमाणित प्रमाणपत्र प्राप्त होने की स्थिति में तृतीय लिफाफा खोला जावेगा, अन्यथा संबंधित फर्मों के निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- तृतीय लिफाफे में अन्य दस्तावेज जैसे :— मेस संचालन हेतु जारी निविदा फार्म, तकनीकी निविदा परिशिष्ट—‘अ’, तकनीकी निविदा परिशिष्ट—‘ब’, तकनीकी निविदा परिशिष्ट—‘स’, तकनीकी निविदा परिशिष्ट—‘द’, व वित्तीय निविदा परिशिष्ट—‘अ’, अनुबंध आदि रखे जावेंगे।

**प्राचार्य**  
 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय  
 जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा(म0प्र0)